पत्रांक : 14/वे.नि. (वेतन संरक्षण)–02/2018. 2550/वि०

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

अखिलेश कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची/दिनांक 23/09/2022

विषय : सप्तम् पुनरीक्षित वेतनमान में एक पद पर कार्यरत रहते हुए दूसरे पद पर नियुक्त होने वाले सरकारी सेवक को पूर्व पद पर प्राप्त अंतिम वेतन का संरक्षण प्रदान करने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के अधीन किसी पद को धारण करने वाला सरकारी सेवक जब किसी अन्य पद पर विधिवत् नियुक्त होता है, तो नये पद पर उनका वेतन निर्धारण/संरक्षण झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 78 के प्रावधानों के आलोक में किया जाता है। इस संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 1609/वि० दिनांक 14.06.2006 एवं परिपत्र संख्या 3511/वि० दिनांक 09.10.2014 द्वारा विस्तृत मार्गदर्शन निर्गत है। छठे पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक पद पर कार्यरत रहते हुए दूसरे पद पर नियुक्त होने वाले कर्मियों के वेतन संरक्षण हेतु प्रक्रिया का निर्धारण वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 451 दिनांक 14.02.2020 द्वारा किया गया है।

2. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 451/वि० दिनांक 14.02.2020 द्वारा छठे पुनरीक्षित वेतन संरचना के परिप्रेक्ष्य में एक पद पर रहते हुए उच्चतर दायित्व वाले किसी अन्य पद पर नियुक्त होने की स्थिति में पूर्व धारित पद के अंतिम मूल वेतन में एक वेतन वृद्धि (@3%), अगले प्रक्रम के रूप में स्वीकृत कर नये पद के लिए निर्धारित ग्रेड वेतन में वेतन का निर्धारण/संरक्षण किये जाने का निर्णय संसूचित है।

3. छठे पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रत्येक पद के लिए पे–बैण्ड एवं ग्रेड पे की व्यवस्था थी। सप्तम् पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रत्येक पद से संबंधित पे–बैण्ड एवं ग्रेड पे के संगत पे–लेवल की व्यवस्था की गयी है।

4. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 217/वि० दिनांक 18.01.2017 की कंडिका–12 के अनुसार सप्तम् पुनरीक्षित वेतन संरचना में किसी पद का लेवल छठे वेतन पुनरीक्षण संरचना में उस पद के लिए नियत पे–बैण्ड एवं ग्रेड पे के अनुरूप पे–मैट्रिक्स द्वारा निर्धारित है।

अतएव, झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 78(क)(1)/78(क)(2) एवं वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 451/वि० दिनांक 14.02.2020 को दृष्टिपथ में रखते हुए, सप्तम पुनरीक्षित वेतन संरचना के परिप्रेक्ष्य में, राज्य सरकार के अधीन एक पद पर कार्यरत रहते हुए दूसरे पद पर विधिवत् नियुक्त होने की स्थिति में वेतन का निर्धारण/संरक्षण निम्नवत् होगा:–

(क) जब नये पद पर नियुक्ति से, पूर्व के स्थायी पद के कर्त्तव्यों और दायित्वों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण कर्त्तव्य या दायित्व नहीं ग्रहण करना पड़े, तो पुराने पद के लिए निर्धारित पे–लेवल (Pay Level) में प्राप्त अंतिम मूल वेतन का संरक्षण, नये पद जिस पर नियुक्ति

हुई है, के लिए निर्धारित पे–लेवल (Pay Level) के समान राशि वाले सेल (Cell) में किया जाय तथा अगली वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि पुराने पद के कालमान के अनुसार अपरिवर्तित रखा जाय। यदि पुराने पद पर प्राप्त अंतिम वेतन के समान राशि का सेल, नये पद जिस पर नियुक्ति हुई है, के लिए निर्धारित पे–लेवल (Pay Level) में उपलब्ध नहीं हो, तो अगला उच्चतर सेल में अंकित राशि अनुमान्य किया जाय तथा अगली वार्षिक वेतन वृद्धि सेवा संहिता के नियम 85 (क) के आलोक में नए पद के कालमान में अनुमान्य की जाय।

(ख) जब नये पद पर नियुक्ति से, पूर्व के स्थायी पद के कर्त्तव्यों और दायित्वों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण कर्त्तव्य या दायित्व ग्रहण करना पड़े, तो पुराने पद के लिए निर्धारित पे–लेवल (Pay Level) में प्राप्त अंतिम मूल वेतन से समान पे–लेवल (Pay Level) का अगला उच्चतर सेल (Next higher cell) अनुमान्य करते हुए, नये पद जिस पर नियुक्ति हुई है, के लिए निर्धारित पे–लेवल में समान राशि वाले सेल में वेतन निर्धारित/संरक्षित किया जाय। यदि नये पद जिस पर नियुक्ति हुई है, के लिए निर्धारित पे–लेवल में समान राशि वाला सेल उपलब्ध नहीं हो, तो अगला उच्चतर सेल में अंकित राशि अनुमान्य किया जाय। अगली वार्षिक वेतन वृद्धि सेवा संहिता के नियम 85 (क) के आलोक में नए पद के कालमान में अनुमान्य की जाय।

वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 1609/वि० दिनांक 14.06.2006 की अन्य सभी शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

विश्वासभाजन,

23/9/2022
(अखिलेश कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : 14/वे.नि. (वेतन संरक्षण)–02/2018 2550/वि० रॉंची/दिनांक 23/09/2022

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/9/2022
(अखिलेश कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : 14/वे.नि. (वेतन संरक्षण)–02/2018 2550/वि० राँची/दिनांक 23/09/2022

प्रतिलिपि : वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/9/2022
(अखिलेश कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : 14/वे.नि. (वेतन संरक्षण)–02/2018 2550/वि० राँची/दिनांक 23/09/2022

प्रतिलिपि : सहायक प्रोग्रामर, पी०एम०यू०, कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/9/2022
(अखिलेश कुमार)
सरकार के उप सचिव।